

फर्द अहकाम


(नियम 26)

अज अदालत सहायक कलेक्टर मुकाम सिरोही

रूपाराम बनाम सिद्ध

किसम मुकदमा 88, 188 Pt Act नं 61 सन् 2019

|                 |                                   |   |
|-----------------|-----------------------------------|---|
| तारीख /<br>किसम | हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज | नम्बर व तारीख<br>अहकाम जो इस<br>हुकम की तामिल<br>में जारी हुआ |
|-----------------|-----------------------------------|---|

|          |  |  |
|----------|--|--|
| 14/10/24 | <p><b>रूपाराम बाधवता उपास्यत</b><br/> <b>राज साहब</b> स्वामित्व में हो गया है।<br/> <b>पत्रावली</b> इलतबा होकर दिनांक<br/> <u>29/11/24</u> को पेश हो।</p> <p><u>29/11/24</u> पत्रावली पेश हुई। पत्रावली<br/>         व पेशेदार सरदार उप.। पत्रावली को उक्त<br/>         पत्रावली को आगे नहीं चलाना चाहते हैं<br/>         चला उक्त को Not Press किया है।<br/>         जिससे उक्त वाद को आगे चलाने का<br/>         कोई औचित्य नहीं होवे कि उक्त पत्रावली<br/>         Not Press स्वार्थी किया जाता है।<br/>         विरुद्ध सदैव इजलास सुनाया गया। पत्रावली<br/>         उक्त सुनार होने के तब तक रुकनी है।</p> <p><b>सहायक कलेक्टर</b><br/> <b>सिरोही (राज०)</b></p> | <p>Not Press</p>  |
|----------|--|--|